उ०प्र0 भू—सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

क्षेत्रीय कार्यालय, एच-169, सेक्टर गामा-2 ग्रेटर नोएडा सिटी, गौतमबुद्धनगर

पत्रांक / १०१/रेरा / अनु0नोटिस / क्षे.का. / ऑनलाईन / 2020–21

दिनांक 10/09/2020

नोदिस

मे0 न्यू वे होम्स प्रा0लि0, ए—16, द्वितीय तल, मेफियर गार्डेन, नई दिल्ली

E-Mail- accounts@newwayhomes.in

उ.प्र. भू—सम्पदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा श्री मनीष कुमार, 110 इन्डस इन्नोवा महोदवापुरा, बंगलौर द्वारा प्रस्तुत शिकायत संख्या— NCR145/06/0086/2019 श्री मनीष कुमार बनाम में सनसिटी हाइ—टेक इन्फास्ट्रक्चर्स प्रा०लि० में माननीय पीठ—03 द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 26.09.2019 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:—

प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि occupation certificate के साथ वादी को नवम्बर 2019 तक यूनिट का मौतिक कब्जा (physical possession) उपलब्ध कराये। साथ ही शिकायतकर्ता व प्रमोटर के बीच हुये हस्ताक्षरित Builder Buyers Agreement (BBA) के अनुसार विलम्बित अवधि/delayed period के सम्बंध में दिनांक 30.04.2016 तक BBA में उल्लिखित दण्ड/penalty के अनुसार तथा दिनांक 01.05.2016 (Real Estate Regulation & Development, Act 2016 के लागू होने की तिथि) से ऑफर ऑफ पजेशन की तिथि 13.12.2017 तक MCRL+1% की दर से प्रमोटर द्वारा दण्ड ब्याज/penal intrest अदा किया जाएगा। ब्याज/दण्ड की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित की जाएगी।

यदि वादी द्वारा किन्हीं किश्तों का भुगतान नहीं किया गया है तो प्रतिवादी विलम्बित अवधि का ब्याज पाने का अधिकारी

है परन्तु यह ब्याज MCLR+1 % की दर से अधिक देय नहीं होगा।

जहां तक प्रतिपूर्ति (compensation) दिलाये जाने का प्रश्न है तो इस सम्बंध में वाद न्यायनिर्णायक अधिकारी (adjudicaating officer) को संदर्भित की जाए।

इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों

के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

शिकायतकर्ता श्री मनीष कुमार ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 06.09.2020 द्वारा सूचित किया है कि प्रमोटर्स द्वारा उ.प्र.

रेरा के आदेश दिनांक 26.09.2019 का अनुपालन नहीं किया गया है।

अतः उक्त के आलोक में आपको पुनः सतर्क/सचेत किया जाता है कि अधिनियम की धारा—63 के अनुसार "यदि कोई संप्रवर्तक, जो प्राधिकरण के किन्हीं आदेशों या निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है या उल्लंघन करता है तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, ऐसी शास्ति के लिए, जो संचयी रूप से, प्राधिकरण द्वारा यथा अवधारित भू—सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत के पांच प्रतिशत तक की हो सकेगी, दायी होगा।"

अतः एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आदेश दिनांक 26.09.2019 की अनुपालन आख्या दिनांक 25.09.2020 तक उपलब्ध करायें। इस अविध में यदि आप द्वारा आदेश का अनुपालन करते हुए अनुपालन आख्या उपलब्ध नही करायी जाती तो उ. प्र. रेरा द्वारा भू—सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा—40 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए

सम्पूर्ण धनराशि भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जायेगा।

(बलराम वर्मा) उप-सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- श्री मनीष कुमार, 110 इन्डस इन्नोवा महोदवापुरा, बंगलौर को सूचनार्थ प्रेषित।

E-Mail: jnu.manish@gmail.com

(बलराम वर्मा) उप—सचिव

